सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —138 / 2017 अपील (RCMS/2017/00101)
पंजीयन दिनांक —16.10.2017
निर्णय दिनांक —04.12.2018

1. श्रीमती भूरी बाई बेवा श्री गमेरसिंह राजपूत, निवासी डाकनकोटडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. श्री शक्तिसिंह पिता श्री गमेरसिंह राजपूत, निवासी डाकनकोटडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

—अपीलान्टस्

बनाम

1. श्री नारायण सिंह पिता श्री गमेरसिंह राजपूत, निवासी डाकनकोटडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. श्री गुलाब सिंह पिता श्री गमेरसिंह राजपूत, निवासी डाकनकोटडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

—रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—
1. श्री सम्पतलाल बोहरा — वकील अपीलान्ट

अपील अर्न्तगत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा प्रकरण संख्या 49 / 2013 दिनांक 06.07.2017

निर्णय

दिनांक 04.12.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा प्रकरण संख्या 49 / 2013 दिनांक 06.07.2017के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा डाकनकोटडा, तहसील गिर्वा में आराजी नम्बर 3181 रकबा 0.3800 भूमि स्थित है। उक्त भूमि श्री गुलाबसिंह पिता गमेरसिंह राजपूत द्वारा श्री नारायण सिंह को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.02.2013 से विक्रय किया। उक्त बिकाव के आधार पर ग्राम पंचायत डाकनकोटडा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 3178 दिनांक 20.03.2013 से उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड

में श्री नारायण सिंह पिता गमेरसिंह के नाम अंकन किया गया। उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध अपीलान्टस् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–2017 केम्प कोर्ट सवीना खेडा में रख निर्णय दिनांक 06.07.2017 से अपील अपीलान्ट पोषणीय नहीं होने से खारिज की। उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेंट की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस दिनांक 27.11.2018 को सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा एक अपील राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में जो दावा डिक्री हुआ था उसके विरूद्ध चल रही है। दौराने अपील कथित नामान्तरकरण भरकर स्वीकृत करा लिया, यह कार्यवाही एबइनिश्योवोईड होकर बिना अधिकार के है, क्योंकि ऐसा विक्रय बिना बटवारें की अंतिम डिक्री पारित किए व अपील के चलते हुए कथित विक्रय पत्र के आधार पर म्यूटेशन नहीं किया जा सकता है। जो म्यूटेशन किया गया वह लिसपेन्डेनसी के दौरान किया गया जबकि अपील दावें का कन्टीन्यूएशन है तथा दावा पेडिंग माना जावेगा एवं दावें के अन्तिम निस्तारण तक कोई म्यूटेशन नहीं किया जा सकता है। इस कारण उक्त नामान्तरकरण से नाराज होकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की थी तथा उस अपील में पेशी सुनवाई हेतु दिनांक 26.09.2017 की मुकर्रर होते हुए केम्प की बिना सूचना दिये एवं अपीलान्ट पर तारिख 06.07.2017 की तामिल कराये बिना ही अपीलान्ट को बिना सुने व बिना सूचना दिये मूल दावे की अपील पेडिंग होते हुए केवल रेस्पोडेंट नारायण सिंह को बुला अपील का निस्तारण करवा दिया जो एबइनिश्योवोईड होकर बिना अधिकार के होकर काबिल निरस्त के है। अपील राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के सक्षम चल रही है, की जानकारी होते हुए भी रेस्पोडेंट ने लिसपेडेन्सी के दौरान नामान्तरकरण स्वीकार करवा लिया, जो काबिल निरस्त के है। यह मामला राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट सवीनाखेडा में रखा गया जिसकी जानकारी अपीलान्ट को प्रदान नहीं की जिससे वह दिनांक 06.07.2017 को केम्प कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ और निर्णय की जानकारी नहीं होने से एवं जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त नकल प्राप्त अपील पेश की गई। मयाद कन्डोन किये जाने हेतु अपील के साथ प्रार्थना पेश किया गया। अन्त में विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा का निर्णय दिनांक 06.07.2017 एवं विवादित नामान्तरकरण संख्या 3178 को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन में कहा गया कि प्रकरण दिनांक 26.09.2017 को पेशी हेतु नियत होने उपरान्त भी अपीलान्टस् को बिना सूचना एवं जानकारी के प्रकरण को केम्प कोर्ट सवीनाखेड़ा में दिनांक 06.07.2017 को रखकर एकतरफा निर्णय पारित किया गया, जबकि प्रकरण में दावा डिक्री की अपील राजस्व मंडल में विचाराधीन थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से अपीलान्ट के उक्त कथन की पुष्टी होती है, जिससे प्रकरण में निर्णय दिनांक 06.07.2017 पारित करने से पूर्व अपीलान्टगण को सूचना देना एवं सुना जाना प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलांटस् द्वारा प्रश्नगत अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारण उचित एवं संतोषप्रद प्रतीत होते है। साथ ही प्रस्तुत तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि निर्णय दिनांक 06.07.2017 पारित किये जाने के समय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिक्षण एवं उपरोक्त तथ्यों पर पूर्णतया विचार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा का निर्णय दिनांक 06.07.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारों को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान कर, दस्तावेजों का परिक्षण कर, न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की स्थिति देखते हुए एवं तथ्यों की जांच करा नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय दिनांक 04.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर